

1-डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी 170 बसन्त बिहार देहरादून स्थाई कार्यालय सुन्दरपुर तहसील बेहट जिला सहारनपुर द्वारा चेयरमैन/प्रबन्धक इन्द्र सिंह सागवान पुत्र वीरबल सिंह सागवान नि० सुन्दरपुर परगना मु०बाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर

प्रार्थी।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश

ग्राम- थापुल इस्माईलपुर

परगना मु०बाद


दिनांक ५/१२/२०१०

आदेश दिनांक ५/१२/२०१०

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी 170 बसन्त बिहार देहरादून स्थाई कार्यालय सुन्दरपुर तहसील बेहट जिला सहारनपुर द्वारा चेयरमैन इन्द्र सिंह सागवान पुत्र वीरबल सिंह सागवान नि० सुन्दरपुर परगना मु०बाद-तहसील बेहट जिला सहारनपुर के प्रार्थना पत्र दिनांक 24-8-09 के आधार पर प्रारम्भ हुई, जिसमें प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 2371 रकबा 0.3442, 2365 रकबा 0.1409, 2372 रकबा 0.3069, 2384 रकबा 0.1606, 2385 रकबा 0.1917, 2386 रकबा 0.1928, 2316 रकबा 0.2164, 2312 रकबा 0.5833 वाके ग्राम थापुल इस्माईलपुर परगना मु०बाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर का भूमिधर है और इसी हैसियत से मौके पर काबिल है। उपरोक्त भूमि मौके पर काफी अरसे कृषि कार्य के रूप में प्रयोग नहीं हो रही है बल्कि शिक्षण संस्था के रूप में प्रयोग हो रही है। उपरोक्त भूमि लगातार अकृषिक होने/शिक्षण संस्था के रूप में प्रयोग होने के कारण भूमि का डिकलरेशन धारा 143 के अन्तर्गत किया जाना अति आवश्यक व न्यायसंगत है। उपरोक्त भूमि लगातार आबादी शिक्षण संस्था के रूप में प्रयोग होने के कारण उपरोक्त भूमि का डिकलरेशन धारा 143 के अन्तर्गत न होने के कारण प्रार्थी के हक पर विपरित प्रभाव पड़ने का संख्य अन्देशा है। अन्त में उपरोक्त भूमि का डिकलरेशन धारा 143 के अन्तर्गत किये जाने व लगान माफ किये जाने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बेहट से जांच कराई गई। जांच आख्या दिनांक 03-01-2010/04-02-2010 के अनुसार खसरा 2386/0.1928हे०, 2385/0.1917हे०, 2384/0.1606हे०, 2372/0.3069हे०, 2365म/0.1149हे०, 2371म/0.1351हे० भूमि डा० राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल एजुकेशनल सोसायटी 170 बसन्त बिहार देहरादून हाल स्थायी कार्यालय सुन्दरपुर द्वारा चेयरमैन इन्द्रसिंह सागवान पुत्र वीरबल सिंह निवासी सुन्दरपुर के नाम अंकित है। भूमि में खेती नहीं हो रही है। भूमि उक्त सोसायटी द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों के शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों हेतु प्रयुक्त हो रही है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने एवं भूराजस्व से मुक्त किये जाने हेतु संस्तुति तहसीलदार द्वारा की गई है।

चेयरमैन इन्द्र सिंह सागवान पुत्र वीरबल सिंह सागवान नि० सुन्दरपुर परगना मु०बाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर ने अपने संशोधन बयान में स्पष्ट किया है कि उक्त खसरा नम्बरान डा० राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी द्वारा संचालित दून कालेज के शिक्षण गतिविधियों, सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे खेल इत्यादि एवं कुछ भाग में भवन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि के सहखातेदारान मुकेश राणा, मुकेश कुमार, संदीप कुमार, जितेन्द्र कुमार, नीरज कुमार व पान्ना देवी के संशोधन बयान से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अतः तहसीलदार बेहट की संस्तुति के आधार पर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल एजुकेशनल सोसायटी 170 बसन्त बिहार देहरादून हाल स्थाई कार्यालय सुन्दरपुर द्वारा चेयरमैन इन्द्र सिंह सागवान पुत्र वीरबल सिंह सागवान नि० सुन्दरपुर के नाम खतौनी वर्ष 1413-1418 फसली के खाता सं० 14 में अंकित ख०नं० 2386 रकबई 0.1928हे०, खाता सं० 595 के खसरा नम्बर 2385 रकबा 0.1917हे०, खाता सं० 1573 के खसरा नम्बर 2384 रकबा 0.1606हे०, खाता सं० 1351 के खसरा सं० 2372 रकबा 0.3069हे० व खाता सं० 1777 के खसरा सं० 2365म रकबा 0.1149हे० व ख०सं० 2371म रकबा 0.1351हे० से संबंधित भूमि को अकृषिक घोषित करते हुए लगान कमशः अंकन रू० 8.05, रू० 8.00, रू० 3.85, रू० 7.75, रू० 5.85 समाप्त किया जाता है। प्रार्थी की एक-एक प्रति तहसीलदार, बेहट एवं उपनिबन्धक, बेहट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पञ्जीवली बाद अकृषिक पूर्ति पञ्जीवली दाखिल इफ्तर हो।  
दिनांक: फरवरी 04, 2010



राजेन्द्र सिंह  
(राजेन्द्र सिंह)

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/  
उप जिलाधिकारी, बेहट ५/१२/१०

प्रतिलिपि:-

- 1- तहसीलदार बेहट
- 2- उप निबन्धक बेहट

दिनांक ५/१२/२०१०  
दिनांक ५/१२/२०१०  
दिनांक ५/१२/२०१०  
दिनांक ५/१२/२०१०  
दिनांक ५/१२/२०१०

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी  
उप जिलाधिकारी, बेहट ५/१२/१०

अहमद ५/१२/१०  
जयसिंह ५/१२/१०